Hkkjrh; izkS< f'k{kk la?k

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है। डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है।

संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। संघ, नेशनल इन्फार्मेटिक सेण्टर इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा प्रायोजित डेलनेट से भी सम्बद्ध है। संघ द्वारा अभी हाल में प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलाँग एजूकेशन) की स्थापना भी कर दी गई है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशनल एसोसिएशन्स' एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक ब्यूरो आफ एडल्ट एजूकेशन' एवं 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

Hkkjrh; izkS< f'k{kk la?k

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002

दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306

फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः proudhshiksha@gmail.com

directoriaea@gmail.com

website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

izkS<+ f'k{kk

ekpZ 2011
o"kZ 55 vad&8

lEiknd e.My

प्रो. भवानी शंकर गर्ग
इन्दिरा पुरोहित
ए.एच.खान
~~प्रफुल्ल नागर~~
एल. राजा
ए. एल. भार्गव
के.आर. सुशीले गौडा
मृणाल पंत
दुर्लभ चेतिया
डा. मदन सिंह

lgk;d lEiknd
बी. संजय

bl vad esa

lEikndh; 2

ch-,M- ifz'k{k.kkfFkZ;ksa ds fy;s ifzrHkk'kkyh fo|kfFkZ;ksa dh fo'ks"krk,¡ ,oa f'k{kk ij vuqn'ku lkexzh dh izHkkfork dk miyfC/k ,oa fodflr vuqn'ku lkexzh ds izfr izfrfØ;kvksa ds vk/kkj ij v/;;u 3
–हंसराज पाल
मंजुलता शर्मा

प्राथमिक स्तर के विकास हेतु प्रमुख संस्थानों, विभागों के योगदान व वर्तमान स्थिति का अध्ययन 11
–दिनेश कुमार

ubZ lgL=kfCn ds izFke n'kd esa Hkkjr dh tula[;k dh izo`fÙk 18
–रेनू गौतम

8 ekpZ 2011 vUrjkZ"Vªh; efgyk fnol dh lkFkZdrk 22
~~–एच. सी. जैन~~

leku voljµ leku gd 25
–मैत्रेयी पुष्पा

on gh x.krU= dh ewy vo/kkj.kk dk vk/kkjgd 28
–रामनिवास गुणग्रहाक

vkeZ ctV 2011 & 12 esa gjsd oxZ ds dY;k.k ij vf/kd tksj 30
–विनोद शंकर बैरवा

Women and Children Welfare Schemes: Breaking New Frontiers
- Nirendra Dev 37

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में हलचल

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिहाज से देखें तो इन दिनों देश में काफी हलचल है। फरवरी माह में ही दो ऐसी बातें हुईं जो व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से आने वाले दिनों में अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। पहली सर्वोच्च न्यायालय के एक खण्डपीठ द्वारा एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया निर्देश है और दूसरी विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री द्वारा दी गई एक जानकारी है।

14 फरवरी को यौन हत्या संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश मार्कण्डे काटजू एवं ज्ञान सुधा मिश्रा की खण्डपीठ ने केन्द्र सरकार सहित सभी प्रदेश एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सूचित किया है कि 4 मई 2011 तक यौन उद्योग में संलग्न तथा यौन उत्पीड़न से प्रभावित सभी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अविलंब योजना बनाएं। खण्डपीठ के इस आदेश के अनुसार उपरोक्त योजना के तहत देश के सभी शहरों में इन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6.89 लाख महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। गौरतलब है कि नाको के अनुसार यह संख्या तकरीबन 12.63 लाख है।

16 फरवरी को विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार ने गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, हिसार में छात्रों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी कि केन्द्र सरकार ने देश में व्याप्त बेरोजगारी की मौजूदा समस्या को हल करने के लिए सन् 2022 तक 50 करोड़ लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। श्री कुमार ने इस हेतु न केवल विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के वर्तमान ढ़ांचे को सुदृढ़ करने की बात कही बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध नेटवर्क को और अधिक गतिमान स्वरूप प्रदान करने पर बल दिया।

संभव है कि यह महज संयोग हो कि उपरोक्त दोनों बातें साथ–साथ ही हुईं। पर सुनियोजित रूप से इन दिनों एआईसीटीई द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पाठयक्रम को अद्यतन स्वरूप प्रदान करने के लिए गहन प्रयत्न किया जा रहा है। गत 11 फरवरी को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षण पाठयक्रम के निर्माण हेतु एक गोलमेज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में टेलिविजन, विज्ञापन, थियेटर, प्रिंट, मीडिया के सहयोगी पांच क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप तथा उनका पाठयक्रम क्या हो यह निर्णय करने के लिए पांच उप समितियां बनाई गईं। ऐसी ही समितियां आटोमोबाइल सेक्टर, आईटी, टेलीकॉम, हास्पिटेलिटी, पर्यटन, भवन निर्माण, आर्थिक सेवाएं, रिटेल सेवाएं, बैंकिंग तथा बीमा आदि क्षेत्रों के लिए आने वाले समय में गठित की जानी है ताकि सम्पूर्ण कार्य को त्वरित गति से सम्पन्न किया जा सके।

निश्चय ही यह सम्पूर्ण प्रयास सराहनीय है। पर इन प्रयासों के दौरान यह कोशिश भी होनी चाहिए कि हर शहर में तो नहीं पर देश के तमाम जिलों में विगत कई दशकों से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत जो जन शिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों को भी प्रभावी स्वरूप प्रदान किया जाय जिससे आम जनता का जो धन इन संस्थानों पर खर्च किया जा रहा है वह वास्तव में आम जनता के विकास में ही खर्च हो। नये निकाय स्थापित करने के पहले पूर्व स्थापित संस्थाओं का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

–बी.संजय

बी.एड़ प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएँ एवं शिक्षा पर अनुदेशन सामग्री की प्रभाविता का उपलब्धि एवं विकसित अनुदेशन सामग्री के प्रति प्रतिक्रियाओं के आधार पर अध्ययन

gal jkt iky
eatqyrk 'kekZ

औचित्य प्रतिभाशाली बालक अपनी उम्र के बालकों की अपेक्षा उच्च योग्यता रखते हैं। अतः ये शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्यों को अन्य बालकों की तुलना में शीघ्र कर देते हैं। कक्षा में इनका मन नहीं लगता है। कक्षा के कार्यों से इन्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। ये अध्यापक द्वारा पढाई जाने वाली विषय सामग्री तथा प्रदत्त कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं तथा अपने विद्यालय, कक्षा, शिक्षक और साथियों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। इनमें कुछ विशेष योग्यताएँ होती हैं, जैसे सृजनात्मकता, भाषाई योग्यता, यांत्रिक योग्यता, तर्कशक्ति इत्यादि। सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करने से इनकी इन विशेष योग्यताओं का पूर्ण विकास व उपयोग नहीं हो पता है। अतः ये शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यो में रुचि नहीं लेते हैं। इनकी सामर्थ्य अनुसार कार्य ना मिलने से ये अपनी उस क्षमता का प्रयोग अवांछनीय कार्यों में करते हैं। ऐसे बालक कक्षा में अत्यधिक शरारत करते हैं। दूसरों को परेशान करते हैं। या फिर ये सुस्त व निष्क्रिय हो जाते हैं। इनमें बैचेनी, सुस्ती और नटखटपन होता हैं। लेकिन यदि प्रतिभाशाली बच्चों की ओर समुचित ध्यान दिया जाए, उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान की जाए, उनकी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें संतुष्ट किया जाए तो वे न केवल अपना विकास करेंगे, बल्कि समाज व राष्ट्र के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। उनकी सामर्थ्य व योग्यता का उपयोग वांछनीय क्षेत्रों में होने से वे समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। और इस कार्य में शिक्षक के विशेष योगदान की जरूरत है। बालक विद्यालय में रहकर ही अपना विकास करता है, एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में अग्रसर होता है। अतः एक शिक्षक को अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना व उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। शिक्षक को प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने में इसलिए कठिनाई होती है, क्योंकि आज तक प्रतिभाशाली बालकों की कोई सार्वभौमिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों को उनमें विद्यमान विशेषताओं के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। अतः एक शिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान करते समय प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ और उन्हें प्रदान की जाने वाली शिक्षा का ज्ञान देना जरूरी हैं।

पूर्व शोध कार्यों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शारीरिक विशेषताएँ, मानसिक

विशेषताएँ, संवेगात्मक विशेषताएँ। प्रतिभाशाली बच्चों का अध्ययन, प्रतिभाशाली किशोरों की पहचान व उनकी विशेषताओं का अध्ययन, प्रतिभाशाली किशोर और उनकी स्व–संकल्पना, बौद्धिक प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ व समस्याओं का अध्ययन से संबंधित शोध कार्य हालिंगवर्थ एवं टेलर (1926), हालिंगवर्थ (1933,1942), ब्रम्बाघ (1956), टर्मन एवं ओडन (1959), भट्ट (1966), देव (1969), वालिया (1973), सम्पत (1984) ने किए। प्रतिभाशाली के व्यवसायिक समायोजन, वैवाहिक समायोजन, सामाजिक समायोजन, प्रतिभाशाली बालकों की समायोजन समस्या तथा कुंठा से उनकी प्रतिक्रियाएँ, मानसिक उच्च बच्चों का समायोजन, उपलब्धि एवं आवश्यकता प्रतिरूप, प्रतिभाशाली तथा सामान्य बच्चों की आवश्यकताएँ, रुचियों तथा समायोजन समास्याओं का तुलनात्मक अध्ययन पर टर्मन (1921,1927,1959) स्टेनफोर्ड (1945), पंडित (1973), सिंह (1983), कुमार (1985) ने शोध कार्य किये। प्रतिभाशाली बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि, प्रतिभाशाली की सहगामी क्रियाओं एवं अवकाशकालीन शैक्षणिक गतिविधियाँ गुजरात राज्य के श्रेष्ठ बच्चों का अध्ययन पर कीज़ (1938), टर्मन (1947), लाइटफुट (1957), 'आचार्य,शिक्षा संस्थान देवी अहिल्या वि.वि.इन्दौर ''लेक्चरर एम.बी. खालसा शिक्षा महाविद्यालय इन्दौर शाह (1969) ने शोध कार्य किये। अनुदेशन सामग्री के विकास से सम्बन्धी शोध में – विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिये अनुदेशन साम्रगी, बी.एड़ प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षा–मनोविज्ञान शिक्षण हेतु अग्रवर्ती संगठक प्रतिमान व सक्रिय अनुबंधन प्रतिमान पर आधारित अनुदेशन सामग्री का विकास व तुलना, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास पर अनुदेशन सामग्री, मंदबुद्धियों की विशेषताएँ एवं शिक्षा पर स्वअधिगम सामग्री का विकास, बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के लिये अधिगम निर्योग्य विद्यार्थियों की विशेषताएँ एवं शिक्षा पर अनुदेशन सामग्री की प्रभाविता का उपलब्धि एवं विकसित अनुदेशन सामग्री के प्रति प्रतिक्रियाओं के आधार पर अध्ययन – जरियाल (1981), बुद्धिसागर (1986), कुशवाह (1991), जादौन (2001) तथा शर्मा (2004) द्वारा किया गया, किन्तु बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ एवं शिक्षा पर अनुदेशन सामग्री की प्रभाविता का उपलब्धि एवं विकसित अनुदेशन सामग्री के प्रति प्रतिक्रियाओं के सन्दर्भ में अध्ययन करने से संबंधित कोई भी शोध कार्य नहीं किया गया है। इससे प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे –

1. प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूहों के समायोजित उपलब्धि माध्यों की तुलना करना जबकि पूर्व परीक्षण के फलांको को सहप्रसरक माना गया हो।
2. अनुदेशन सामग्री के प्रति प्रयोगात्मक समूह के प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया था–

1. प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के समायोजित उपलब्धि माध्यों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा जबकि पूर्व परीक्षण के फलांकों को सहप्रसरक माना गया हो।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर सत्र 2004–05 के 70 बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों के दैव (Random) न्यादर्श पर किया गया। ये प्रशिक्षणार्थी कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के थे जिनकी उम्र 22 से 35 वर्ष के मध्य थी। ये प्रशिक्षणार्थी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के थे।

उपकरण

प्रस्तुत शोध में प्रदत्त संकलन हेतु शोधिका द्वारा निर्मित निम्न दो उपकरणों का अनुदेशन सामग्री किया गयाः

1. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएँ एवं शिक्षा : निकष परीक्षण।
2. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएँ एवं शिक्षा अनुदेशन सामग्री प्रतिक्रिया मापनी।

प्रदत्त संकलन विधि

प्रस्तुत शोध में प्रदत्तों का संकलन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएँ एवं शिक्षा निकष परीक्षण तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषताएँ एवं शिक्षा अनुदेशन सामग्री प्रतिक्रिया मापनी द्वारा किया गया। जिसके लिए 'शिक्षा अध्ययन शाला', देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के निर्देशक से अनुमति लेकर न्यादर्श का चयन किया गया। चयनित बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों से घनिष्टता स्थापित कर दोनों ही समूहों (प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित) पर प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ एवं शिक्षा निकष परीक्षण प्रशासित किया गया। तत्पश्चात् उपचार के रूप में प्रयोगात्मक समूह को प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ एवं शिक्षा पर विकसित अनुदेशन सामग्री दी गई। उपचार के पश्चात् प्रयोगात्मक समूह पर प्रतिक्रिया मापनी प्रशासित की गई। तत्पश्चात् दोनों समूहों पर प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएँ एवं शिक्षा निकष परीक्षण प्रशासित किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत शोध मे प्रदत्त विश्लेषण हेतु आवृत्ति, औसत एवं एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण (One Way ANCOVA) का प्रयोग किया गया।

परिणाम एवं विवेचना

प्रदत्त विश्लेषण के अनुसार प्राप्त परिणामों की विवेचना उद्देश्योंनुसार की गयी। प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूहों के समायोजित उपलब्धि माध्यों की तुलना करना जबकि पूर्व परीक्षण के फलांकों को सहप्रसकर माना गया हो।

इस शोध का प्रथम उद्देश्य था – प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूहों के समायोजित उपलब्धि माध्यों की तुलना करना जबकि पूर्व परीक्षण के फंलाको को सहप्रसरक माना गया हो। इस उद्देश्य हेतु अग्र परिकल्पना का निर्माण किया गया था। यह इस प्रकार था–''प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूहों के

समायोजित उपलब्धि माध्यों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होगा जबकि पूर्व परीक्षण के फंलाकों को सहप्रसरक माना गया हो''। इसके परिणामों को तालिका –1. एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण सारांश उपलब्धि के संदर्भ में, जबकि पूर्व परीक्षण के फलांकों को सहप्रसरक माना गया हो, में दर्शाया गया है।

तालिका 1. पश्च परीक्षण के समायोजित उपलब्धि माध्यों का सहप्रसरण विश्लेषण सारांश जबकि पूर्व परीक्षण को सहप्रसरक माना गया हो।

प्रसरण के स्रोत Source of variance	df	SSxy	MSSxy	F
समूह (Group)	1	772.42	772.42	192.459**
त्रुटि (Error)	67	268.90	4.01	

** .01 सार्थकता स्तर पर सार्थक

तालिका 1 से विदित होता हैं कि पश्च परीक्षण के समायोजित उपलब्धि माध्यों के लिए 'F' मूल्य 192.459 प्राप्त हुआ है जबकि पूर्व परीक्षण को सहप्रसरक माना गया। प्राप्त 'F' मूल्य 192.459 स्वतंत्रता की कोटि (1,67) के लिए सार्थकता के स्तर .01 पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना कि प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूहों के समायोजित उपलब्धि माध्यों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होगा जबकि पूर्व परीक्षण को सहप्रसरक माना गया हो, निरस्त की जाती है। अतः यह कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक समूह के उपलब्धि माध्य नियंत्रित समूह के उपलब्धि माध्यों से सार्थक रूप से उच्च है। अतः विकसित अनुदेशन सामग्री का प्रयोगात्मक समूह की उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पाया गया।इसकी पुष्टि बुद्धिसागर (1986), कुशवाह (1991), जादौन (2001) तथा शर्मा (2004) से होती है ।

प्रयोगात्मक समूह के सदस्यों की अनुदेशन सामग्री के प्रति प्रतिक्रियाएँ

प्रस्तुत शोध का द्वितीय उद्देश्य था– अनुदेशन सामग्री के प्रति प्रयोगात्मक समूह के प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना। तालिका 2. में प्रयोगात्मक समूह के सदस्यों की अनुदेशन सामग्री के विभिन्न पक्षों के प्रति प्रतिक्रियाओं की आवृत्ति एवं औसत फलांक को दर्शाया गया है।

तालिका 2. प्रयोगात्मक समूह के सदस्यों की अनुदेशन सामग्री के विभिन्न पक्षों के प्रति प्रतिक्रियाओं की आवृत्ति एवं औसत फलांक को दर्शाती तालिका

क्रं.	अनुदेशन सामग्री के पक्ष	कथन	पूर्णतः सहमत आवृत्ति	सहमत आवृत्ति	अनिश्चित आवृत्ति	असहमत आवृत्ति	पूर्णतः असहमत आवृत्ति	औसत फलांक
1.	भाषा	1. अनुदेशन सामग्री की भाषा सरल है	20	12	03	–	–	4.48
		2. अनुदेशन सामग्री में क्लिष्ट शब्द हैं।	–	–	05	10	20	4.42
2.	उद्देश्य	1. अनुदेशन सामग्री के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं।	–	–	03	08	24	4.6
		2. अनुदेशन सामग्री के उद्देश्यों की संख्या अपर्याप्त है।	–	01	02	20	12	4.72
		3. उद्देश्यों को पढ़ने से सामग्री के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है।	–	01	01	22	11	4.22
3.	विषय वस्तु	1. अनुदेशन सामग्री की विषयवस्तु पर्याप्त मात्रा में है।	25	08	02	–	–	4.65
		2. अनुदेशन सामग्री में विषय वस्तु वस्तु क्रमबद्ध है।	15	16	04	–	–	4.31
		3. अनुदेशन सामग्री में विषय वस्तु का संगठन उचित है।	18	16	01	–	–	4.48
4.	चित्र	1. अनुदेशन सामग्री में प्रयुक्त चित्रों में भाव स्पष्ट हैं।	30	02	03	–	–	4.77

क्रं.	अनुदेशन सामग्री के पक्ष	कथन	पूर्णतः सहमत आवृत्ति	सहमत आवृत्ति	अनिश्चित आवृत्ति	असहमत आवृत्ति	पूर्णतः असहमत आवृत्ति	औसत फलांक
		2. अनुदेशन सामग्री में प्रयुक्त चित्रों की संख्या पर्याप्त है।	20	10	03	02	–	4.37
		3. अनुदेशन सामग्री में प्रयुक्त चित्र विषय वस्तु के अनुरूप नहीं है।	–	03	02	20	10	4.05
5.	शब्दसूची	1. अनुदेशन सामग्री की शब्द सूची उपयोगी हैं।	02	10	03	–	–	4.54
6.	उदाहरण	1. अनुदेशन सामग्री के उदाहरण उचित है।	16	17	02	–	–	4.4
		2. अनुदेशन सामग्री के उदाहरण अपर्याप्त हैं।	–	–	03	16	16	3.9
7.	अधिगम–अभ्यास	1. अनुदेशन सामग्री में प्रयुक्त अधिगम अभ्यास उपयोगी है।	14	14	07	–	–	4.2
8.	वाक्य–रचना	1. अनुदेशन सामग्री की वाक्य–रचना व्याकरण सम्मत हैं।	10	20	05	–	–	4.14

क्रं.	अनुदेशन सामग्री के पक्ष	कथन	पूर्णतः सहमत आवृत्ति	सहमत आवृत्ति	अनिश्चित आवृत्ति	असहमत आवृत्ति	पूर्णतः असहमत आवृत्ति	औसत फलांक
9.	संदर्भ	1. अनुदेशन सामग्री के संदर्भ उपयोगी नहीं है।	–	–	01	18	16	4.42
10.	मुखपृष्ठ	1. अनुदेशन सामग्री का मुखपृष्ठ नीरस है।	– –	02 02	03 03	18 18	12 12	4.41 4.41
11.	उपयोगिता	1. अनुदेशन सामग्री अनुपयोगी हैं।	–	–	04	16	15	4.31
12.	रुचि	1. अनुदेशन सामग्री अरुचिकर है।	–	02	01	10	22	4.48

तालिका 2 के निरीक्षण से ज्ञात होता हैं कि प्रयोगात्मक समूह के सदस्यों की अनुदेशन सामग्री के प्रत्येक पक्ष के लिए प्रतिक्रियाओं का औसत फलांक 3.9 या इससे अधिक है। इसका कारण यह है कि अनुदेशन सामग्री में सरल शब्दों तथा छोटे–छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में समझाया गया है। तकनीकी शब्दों को अंग्रेजी अनुवाद के साथ अनुदेशन सामग्री के अंत में शब्द सूची में दिया गया है। सरल भाषा तथा दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। विषय वस्तु अधिगमकर्त्ता को पूर्णतः स्पष्ट हो इस हेतु उदाहरण को विषय–वस्तु के अनुरूप रखा गया है। साथ ही उदाहरण दैनिक जीवन संबंधी हैं। विषय–वस्तु को क्रमबद्ध रूप में रखा गया है जिससे विषय वस्तु को समझने में आसानी हो। विषयवस्तु के प्रत्येक बिंदु को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है। निर्देश पूर्णतः स्पष्ट हैं तथा उद्देश्यों को विषयवस्तु के प्रत्येक बिंदु से सम्बद्ध कर व्यावहारिक भाषा में लिखा गया है। विशेषज्ञों से चर्चा के बाद उचित संशोधन अनुदेशन सामग्री में किए गए हैं। सामग्री के सभी पक्षों पर प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिक्रियाएँ पूर्णतः सकारात्मक रहीं। इससे अनुदेशन सामग्री का प्रभावी होना सिद्ध होता है। सार्थक प्रभाव पाया गया।इसकी पुष्टि बुद्धिसागर (1986), कुशवाह (1991), जादौन (2001) तथा शर्मा (2004) से होती है।

सन्दर्भ

1. Buch M.B. (ed.) A survery of Research in Education. Baroda : Centre of Advanced Study in Education, 1974.
2. Buch, M.B. (ed.) Second Survery of Research in Education. Baroda : Society for Educational Research & Developent, 1979.
3. Buch,, M.B. (ed.) Third Survery of Research in Education. New Delhi : National Council of Educational Research and Training 1986.
4. Buch, M.B. (ed.) Forth Survery of Research in Education. Vol I & II New Delhi : National Council of Educational Research & Training 1991.
5. NCERT Fifth Survery of Research in Education Trends Reports. Vol I New Delhi : National Council of Educational Research & Training 1997.
6. NCERT Fifth Survery of Research in Education. Vol II New Delhi : National Council of Educational Research & Training 2000.

❍❍❍❍❍

प्राथमिक स्तर के विकास हेतु प्रमुख संस्थानों, विभागों के योगदान व वर्तमान स्थिति का अध्ययन

fnu'k dqekj

किसी भी देश तथा समाज की उन्नति में शिक्षा का प्रमुख हाथ होता है। प्राथमिक शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यदि प्राथमिक शिक्षा एक कुशल, योग्य, विद्वान, विषय ज्ञाता, सदाचारी, नैतिक, कर्तव्यनिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है तब इन गुणों का प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव डालता है। इन्हीं गुणों के आधार पर बड़ा होकर वह अपने जीवन को संचालित करता है। आज अभिभावक का यह नैतिक व अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलाये। वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल में होते हुए आज तक सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को सुधारने हेतु अनेक संस्थाओं का निर्माण किया जो प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन कर शिक्षा में सुधार कर रही है। उनमें से कुछ प्रमुख संस्थान निम्न प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं:

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training, N.C.E.R.T)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन् 1961 में स्वायत संगठन के रूप में की गई थी। स्कूली शिक्षा और शिक्षक में गुणात्मक सुधार लाना इसका प्रमुख कार्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए परिषद अपने क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन नई दिल्ली के द्वारा अनुसंधान विकास, प्रशिक्षण, विस्तार और शैक्षिक सूचना के प्रयास से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करती है।

कोठारी आयोग ने कहा परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के शिक्षा विभागों से मिलकर स्कूली शिक्षा को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए विस्तार कार्य करना है। परिषद उनकी समस्याओं से सम्बन्धित कार्यक्रम चला रही है। जैसे– शिशु देखभाल और शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, स्कूल स्तर पर शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया का अनुपालन, स्कूल में विज्ञान शिक्षा का विस्तार/सुधार, कम्प्यूटर, साक्षरता, शिक्षक शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति की शिक्षा, पिछड़े अल्संख्यकों की शिक्षा, महिला समानता, विकलांगता की शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, आदि पर अनुसंधान कार्यों पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

2. राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education, S.I.T.)

मई 1963 में राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक द्वारा राज्य में शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। राज्य शिक्षा संस्थानों का मुख्य उद्देश्य विविध स्तर की स्कूली शिक्षा की

गुणवत्ता में सुधार करना है। इनका मुख्य दायित्व अनुसंधान, प्रशिक्षण विस्तार एवं क्षेत्रीय सेवाएं, प्रकाशन आदि है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह राज्य स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन, शैक्षिक प्रशासन में सुधार, प्रारंभिक समस्याओं का हल ढूंढना, विद्यालय सुधार कार्यक्रम, शिक्षण की कोटी में सुधार, प्राथमिक शिक्षण में सुधार, पत्राचार पाठ्यक्रमों का संचालन आदि कार्य करता है।

3. राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (S.C.E.R.T.)

राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाना है। परिषद अपने विभिन्न विभागों के द्वारा अध्यापकों के शैक्षिक स्तर ऊँचा करने, सेवा पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का दिशा निर्देश करती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्राथमिक स्तर से सेकण्डरी स्तर तक विभिन्न मेले, नाटक, सेमीनार, युवा संसद, भाषण प्रतियोगिता जैसे रोचक कार्यक्रम भी इसके द्वारा आयोजित किये जाते हैं।

4. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (District Institutes of Education and Training, D.I.E.T.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवंम इसकी कार्य योजना 1994 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की तत्कालीन पद्धति में आमूल परिवर्तन करने हेतु प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने का निर्णय लिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक रिर्पोट के अनुसार अब तक 450 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा पद्धतियों के संपूर्ण शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए की गयी है। इसके मुख्य कार्य हैं:

1. औपचारिक स्कूल प्रणाली के लिए अध्यापकों की सेवा पूर्व प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण का अयोजन।
2. अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशक तथा पर्यवेक्षकों हेतु प्रेरणा स्तर एवं सतत् शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन।
3. संस्थाओं के प्राचार्य का संस्थागत योजना निर्माण विधि में प्रशिक्षण और अनुसंधान।
4. सामुदायिक नेताओं, स्वैच्छिक संस्थानों के कार्यकर्त्ता से स्कूल स्तर की शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुस्थापन।
5. प्राथमिक अध्यापकों के सेवा कालीन प्रशिक्षण की प्रमुख एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
6. अध्यापकों द्वारा स्वयं ही शिक्षा सामग्री निर्मित करने को प्रोत्साहित किया जाना।

5. ब्लाक संसाधन केन्द्र Block Resource Centre (B.R.C.)

डायट के अनुरूप ब्लाक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अंतर्गत ब्लाक संसाधन केन्द्र को बौद्धिक प्रकोष्ट के रूप में विकसित किया गया है। इसमें एक समन्वयक (B.R.C) एवं एक सहसमन्वयक (A.B.R.C.) का पद सृजित है।

ब्लॉक संसाधन केन्द्र विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं एवं अन्य शैक्षिक नवाचार कार्यक्रमों तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों का आयोजन करता है। यह विभिन्न शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का केन्द्र होने के साथ ही विकास खण्ड (ब्लाक) में स्थित सभी न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र पर एक समन्वयक अथवा सहायक समन्वयक की नियुक्ति में सहयोग करता है।

ब्लाक समन्वयक/सहायक समन्वयक के मुख्य दायित्व (Main Responsibilities of Block Coordinator)

1. सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित करना।
2. शिक्षण को प्रभावी एवं रूचिपूर्ण बनाना।
3. विद्यालय में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना।
4. शिशु शिक्षा (E.C.C.E.) केन्द्रों पर नियमित भ्रमण करना एवं वहाँ अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना।
5. इलेक्ट्रानिक उपकरणों – टी.वी., वी.सी.आर., टू इन वन आदि का समुचित प्रयोग करके शैक्षिक वातावरण का सृजन करना तथा अभिभावकों में चेतना जागृत करना एवं इन उपकरणों का उचित रख रखाव करना।
6. बालिकाओं, अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) तथा पिछड़ी जाति (ओ. बी.सी.) के बच्चों के पंजीकरण में वृद्धि हेतु विशेष प्रयास करना।
7. शैक्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करना।
8. विद्यालयी, अन्तःविद्यालयी, न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर क्रीड़ा, वाद विवाद, क्विज आदि प्रतियोगिता का आयोजन करना।

6. न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र (N.P.R.C./ C.R.C.)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन के विकेन्द्रीकरण की दिशा में विशेष कदम उठाये गये हैं। इसके अंतर्गत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र की परिकल्पना की गयी है।

न्याय पंचायत संदर्भ केन्द्र के दायित्व (Responsibilities of NPRC)

1. यह केन्द्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों व गतिविधियों का केन्द्र होगा।
2. यह अध्यापकों के लिए गोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन स्थल होगा।
3. यह विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन तथा सूक्ष्म नियोजन में सहयोग एवं परामर्श प्रदान करेगा।
4. यह ब्लाक संसाधन केन्द्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु इनके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण एवं विद्यालयी प्रभावकारिता का निरीक्षण करके सुझाव एवं सहयोग प्रदान करेगा।
5. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण

की व्यवस्था करना।

शैक्षिक गतिविधियाँ (सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम)

1. **प्राथमिक शिक्षा प्रभाव** इस विभाग द्वारा डाइट व एस0टी0सी0 के व्याख्याताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। नवीन शैक्षिक विधाओं जैसे मइक्रो टीचिंग, सतत् मूल्यांकन एवं शैक्षिक तकनीकी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रमुख रूप में प्राथमिक शिक्षा प्रभाग द्वारा दिये जाते हैं।
2. **शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग** शैक्षिक प्राद्योगिकी शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इस प्रभाग द्वारा आशुरचित उपकरण, स्क्रिप्ट, लेखन, फिल्म स्ट्रिप निर्माण, साटफ्वेयर निर्माण एवं कम्प्यूटर सम्बन्धि प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग है। अतः इस प्रभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाता है।
3. **शैक्षिक योजना प्रबंध एवं प्रशासन विभाग** इस विभाग द्वारा वार्षिक पंचाग का निर्माण किया जाता है। वार्षिक पंचाग की समस्त आई0ए0एस0ई0 के प्रधानाचार्यो की बैठक में समीक्षा की जाती है। तदुपरांत पंचाग को अंतिम रूप दिया जाता है। नोडल आफिसर पंचाग प्रकाशित कर समस्त संबधित संस्थानों में वितरित करता है। विभाग द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान, प्रभावी परिवीक्षण, शैक्षिक नियोजन तथा प्रधानाध्यापकों के अनुभव हेतु शिविर का आयोजन किया जाता है।
4. **प्रसार सेवा विभाग** इस विभाग द्वारा सभी विभाग के प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यवस्था, प्रकाशन, वार्ताकार व्यवस्था और सामग्री निर्माण, संदर्भ व्यक्तियों की व्यवस्था, पी0ए0सी0 मीटिंग, पेपर रीडिंग, सेमीनार, टीचिंग प्रतियोगिताओं आदि का अयोजन किया जाता है।
5. **प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा विभाग** विभाग के व्याख्याताओं द्वारा प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों को गणित, पर्यावरण शिक्षा एवं भाषा में प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न पंचायत समिति क्षेत्रों में जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
6. **विशिष्ट शिक्षा विभाग** इस विभाग द्वारा पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा, विकलांग शिक्षा व प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रयास

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं। शिक्षा के विकास हेतु 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू कर समाज के उस वर्ग तक शिक्षा पहुँचाने का एक अथक प्रयास किया जा रहा है जो अभी तक शिक्षा से वंचित रहा है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षा के द्वारा अपना बहुमुखी विकास कर सके। शोधार्थी यह

जानना चाहता है कि सरकार द्वारा इतना प्रयास करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। विद्यालयों में बच्चों की संख्या घट रही है। शिक्षित अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश कराने से कतरा रहें है। ऐसे ही कारणों को जानने हेतु शोधार्थी ने 10 प्राथमिक विद्यालयों के 256 छात्रों, 152 अभिभावकों व 45 शिक्षकों से मिलकर इस सम्बन्ध में उनके विचार जानें।

उद्देश्य

1. छात्रों में शिक्षण के प्रति सकारात्मक रूची है।
2. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है।
3. अध्यापक शिक्षण कार्यों को अपना प्रमुख कर्तव्य मानते हैं।

जनसंख्या एवं न्यादर्श

शोधार्थी ने ब्लाक कोतवाली, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश के यद्इच्छा 10 प्राथमिक विद्यालयों के 256 छात्रों, 152 अभिभावकों व 45 शिक्षकों से प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति को जानने का एक प्रयास किया है।

विधिः साक्षात्कार विधि।

निष्कर्ष

1. छात्र अभ्यास पुस्तिका पूर्ण रूप से भरी हुई नहीं पायी गयी।
2. छात्र अंग्रेजी की किताब को नहीं पढ़ पा रहें थे।
3. छात्र समय से विद्यालय नहीं पहुँचते हैं।
4. छात्र शिक्षा के बजाए मिड डे मिल की ओर अधिक ध्यान देते हैं।
5. अभिभावक प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं।
6. अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अलावा कृषि कार्य, पशुचारा व छोटे भाई–बहनों की देखभाल में बच्चों की मद्द लेते हैं।
7. शिक्षित अभिभावकों के बच्चों अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं जिसके कारण बाकी विद्यालय के कम सर्म्पक में रहते हैं।
8. शिक्षक विद्यालय में समय से उपस्थित नहीं होते हैं। जिसके कारण उनमें शिक्षण के प्रति समर्पण का अभाव दिखायी देता है।
9. शिक्षक पाठ्यक्रम को समय सारणी अनुसार पूर्ण नहीं करा पाते है। बल्कि गणित में जोड, गुणा, घटाना के प्रश्न अपनी इच्छा से देते हैं।
10. अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं जिसके कारण बच्चों मे भी जागरूकता का अभाव हैं।

11. अधिकतर अध्यापक शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों का बहाना बनाकर शिक्षण कार्यों को महत्व नहीं देते हैं।
12. विद्यालयों में निरीक्षण नाममात्र का होता है।
13. विद्यालयों में शिक्षण कार्यों के अलावा अन्य रजिस्टर प्रतिमाह बनाने होते हैं जिनमें केवल खानापूर्ती होती है जैसे– एम0टी0ए0, पी0टी0ए0 आदि।
14. विद्यालयों में प्राकृतिक फुलवारी का अभाव भी देखने को मिला।

विश्लेषण

1. उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर परिकल्पना 1. छात्रों में शिक्षण के प्रति गहरी रूची है इसको अस्वीकार नहीं किया जाता है 2. अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रति जागरूक है। इसको अस्वीकार किया जाता है परिकल्पना 3. अध्यापक शिक्षण कार्यों को अपना प्रमुख कर्तव्य मानते हैं इसको अस्वीकार किया जाता है क्योंकि छात्र, अभिभावक व अध्यापक शिक्षा के प्राति समर्पित नहीं है। वे शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पा रहें हैं और ना ही शिक्षा के प्रति पूर्णरूप से वचनबद्ध एवं समर्पित दिखायी देते हैं।

सुझाव

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षा के प्रमुख संस्थानों द्वारा शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे है। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए हम सबको (छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों व नेताओं) मिलकर शिक्षा के प्रति जागरूकता लानी होगी, शिक्षा के महत्व को बताना होगा। यह बताना होगा कि शिक्षा ही वह सम्पत्ति है जिसके आधार पर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। व किसी भी पद को प्राप्त कर सकते है सबसे अधिक जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों को उठानी होगी जिनके ऊपर कल के भविष्य को शिक्षित, संस्कारवान बनाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी है। शिक्षित समाज द्वारा ही इस देश के लिए पुनः विश्व गुरू का दर्जा हासिल किया जा सकता है।

संन्दर्भ

कुमार, डी (2009) ''बेसिक शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण अभिक्षमता अभिवृत्तियाँ तथा शिक्षण व्यवसाय के प्रति वचनवद्धता एवं समर्पण स्तर का अध्ययन'', पृ0 28, 33.

माहेश्वरी के0के0 (2004) ''माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में व्यावसायिक प्रतिवद्धता की मात्रा व अन्तर का अध्ययन'' (एम0एड0 लघु शोध प्रबन्ध) एम0डी0एस0 विश्वविद्यालय अजमेर .

जोहरी, बी.पी. एवं पाठक, पी.डी. (2009) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रेमलता ऑफसेट, प्रेस आगरा, पृ0 43, 105, 140.

भार्गव (डॉ) के.पी. (2009) : आधुनिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा पृ. 21, 26.

राजपूत, जगमोहन सिंह (2001) : विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली पृ0

260, 261

श्रीवास्तव (डॉ0) एस.एस. (2010): भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, संस्कृति भवन लखनऊ।

रानी, राज. (2009) : भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली पृ0.65.

सक्सैना, एन.आर. एवं मोहन्ती, आर.के. अध्यापक शिक्षा, सुप्रीम प्रिटिंग प्रेस मेरठ पृ0 4, 26.

त्यागी, गुरसरदास (2008) : प्रारम्भिक शिक्षा, ज्योति प्रिटिंग प्रेस, आगरा पृ0 25 .

किशोर, डॉ0 अवधेश (2009) : प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के कार्य, प्रेमलता ऑफसेट प्रेस, आगरा पृ0 6 लाल एण्ड लोड, शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग।

वालिया, (डॉ0) जे.एस., भारत में शिक्षा का विकास पृ0 38.

भट्ट (डॉ0) पी.एल0. (2007) : एजूकेशन रिसर्च जनरल, कोटद्वार उत्तराखण्ड पृ0 87, 93.

शर्मा, आर.ए. (1995): शिक्षा अनुसन्धान, सूर्या पब्लिकेशन, मेरठ पृ0 938, 947.

भट्टाचार्य, जी.सी. (2003) : अध्यापक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ।

कौल, लौकेश (2000) : शैक्षिक अनुसन्धान की विधियां, नई दिल्ली।

नई सहस्त्राब्दि के प्रथम दशक में भारत की जनसंख्या की प्रवृत्ति

ju xkre

भारत में प्रथम जनगणना 1871 में हुई थी। अर्थात् जनगणना का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में जनेगणना होती है, जिससे राष्ट्र की जनसंख्या, स्थिति और प्रवृत्ति ज्ञात होती है। वर्ष 1988 से 2008 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि प्रति हजार आबादी पर जन्मदर 26. 4 से घटकर 22.8 रह गयी है। इसी प्रकार मृत्युदर भी 15 प्रतिशत कम हुई है। हालांकि अब भी आबादी बढ़ने की दर अधिक नहीं गिरी है, पर स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि में 11 प्रतिशत की गिरावट अच्छा संकेत है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के सर्वेक्षण (2010) से यह तथ्य सामने आया है कि जन्मदर–मृत्युदर और स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि में भारी गिरावट आई है। इस तथ्य के पीछे साक्षरता में वृद्धि, आर्थिक विकास की अच्छी रफ्तार और जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति बढ़ी जागरूकता और चेतना तथा गर्भनिरोधक साधनों की उपलब्धता बढ़ना आदि का योगदान प्रतीत होता है। वर्तमान दशक में मृत्युदर के मामले में बिहार में 22 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत और राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है तथा शिशु मृत्युदर में 26 प्रतिशत की कमी आई है। आबादी वृद्धि दर गिरावट के मामले में पंजाब, केरल, महाराष्ट्र और पं0 बंगाल आगे हैं। फिर भी जिस प्रकार की अपेक्षा थी उस अनुपात में जनसंख्या का बढ़ना नहीं रूका है। असाक्षरता, कुपोषण, बीमारी, चेतना की कमी, छोटे परिवार की संकल्पना का अभाव इसके लिए उत्तरदायी हैं।

जनसंख्या की दृष्टि से सन् 1921 को बड़ा विभाजक वर्ष माना जाता है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। 01 जुलाई सन् 1988 में एशिया की जनसंख्या 3 अरब हो गयी थी, जिसमें से केवल चीन तथा भारत की 2 अरब जनसंख्या निवास कर रही थी। एशिया में अधिकतर विकासशील राष्ट्र हैं जिसमें मृत्युदर को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर लिया गया है। लेकिन जन्मदर उस अनुपात में नहीं घट रही है। फलस्वरूप एशिया जनसंख्या विस्फोट के कगार पर पहुंच गया है।

भारत की जनसंख्या (करोड़ में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1901	23.84	12.8	11.74
1911	25.21	12.84	12.37
1921	25.13	12.85	12.28
1931	27.89	14.29	12.58

वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिला
1941	31.87	16.37	15.47
1951	36.11	18.55	17.56
1961	43.92	22.63	21.29
1971	54.82	28.40	26.41
1981	68.52	35.44	33.08
1991	84.43	43.75	40.63
2001	102.70	53.12	49.58

स्रोत : जनसंख्या रिपोर्ट 2001

जनसंख्या स्थिति तीन घटकों पर निर्भर है – 1. जन्मदर 2. मृत्युदर 3. प्रवास। भारत के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के लिये उत्तरदायी घटक जन्मदर एवं मृत्युदर हैं। जन्मदर और मृत्युदर में जितना अधिक अन्तर होगा जनसंख्या वृद्धि उतनी ही अधिक होगी। सन् 1921 में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे जन्मदर एवं मृत्युदर क्रमशः 48.1 व 47.1 थी। अर्थात प्रति हजार के पीछे एक वर्ष में जनसंख्या की वृद्धि दर 0.1 प्रतिशत थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार के कारण सन् 1981 तक 60 वर्षों में मृत्युदर 47.1 से घटकर 14.8 प्रति हजार हुई। जबकि जन्मदर 48.1 प्रति हजार से घटकर 36 प्रति हजार हो सकी। अर्थात केवल 12.1 प्रति हजार घटी। सन् 1911 में जनसंख्या 25 करोड़ 21 लाख थी जो 1921 में 25 करोड़ 14 लाख हुई। जनसंख्या घटने का मुख्य कारण जन्मदर की अपेक्षा मृत्युदर का अधिक होना था। इस प्रकार 1921 को देश की जनसंख्या में एक मोड़ बिन्दू के रूप में माना जाता है। 1921–1951 के मध्य जनसंख्या में 11 करोड़ 4 लाख की वृद्धि हुई। 1951 से 1961 के मध्य यह वृद्धि 8.21 करोड़ रही। जबकि 1971 और 1981 के मध्य जनसंख्या वृद्धि 12.72 करोड़ रही जो कि सर्वाधिक वृद्धि थी। 1981 और 1991 के दशक में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी। सन् 2001 की जनसंख्या स्थिति के अनुसार कुल जनसंख्या में वृद्धि हुयी है। लेकिन 1981–1991 की तुलना में 1991–2001 में सूक्ष्म कमी आयी।

भारत में 1921–2010 की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन की समीक्षा करने पर यह निम्न अवस्थाओं में विभक्त की गयी है :

1901 से 1921 : नगण्य जनसंख्या वृद्धि

1921 से 1951 : अधिक जनसंख्या वृद्धि

1951 से 1991 : तीव्र जनसंख्या वृद्धि

1991 से 2001 : मामूली गिरावट

2001 से 2010 : अच्छी गिरावट

- भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले देशों की श्रेणी में आता है जहां विश्व की कुल आबादी का 16 प्रतिशत विश्व के 2.4 प्रतिशत भूक्षेत्र में निवास कर रही है। देश की जनसंख्या वृद्धि मात्र स्थानीय महामारियों, बीमारियों के कारण ही प्रभावित नहीं होती है बल्कि देश के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के कारण भी प्रभावित होती है।

- भारत में 2001 जनगणना के अनुसार दशाब्दि वृद्धि दर 21.34, मृत्युदर 8.01, जन्मदर 25.00 लिगांनुपात 933 प्रति हजार पुरूषों पर महिलायें, घनत्व 324 प्रति वर्ग किमी0 है। भारत की जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि दर के सम्बन्ध में निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैं :

1. भारत की वर्तमान जनसंख्या 1.18 करोड़ तक पहुंच गयी है जो कि चिंता का विषय है।
2. वर्ष 1901 से 1921 के बीच देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई, इसका कारण उच्च जन्मदर के साथ विद्यमान मृत्युदर था।
3. 1921 से 1951 के बीच देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण था अकाल एवं महामारियों पर नियत्रंण से हुई मृत्युदर में कमी।
4. 1951–1981 के बीच जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण इस अवधि में मृत्युदर का लगातार घटते जाना तथा जन्मदर में लगभग स्थिरता की स्थिति का बने रहना।
5. 1981–2001 के मध्य देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई परन्तु इसकी वृद्धि दर में गिरावट का रूख जारी रहा। इसका कारण लोगों में छोटे परिवार की धारणा से जन्मदर में मामूली गिरावट का आना था।
6. 2001 की जनगणना के आधार पर भारत जनसंख्या संक्रमण की चतुर्थ अवस्था की ओर धीरे–धीरे अग्रसर हो रहा है। मृत्युदर में कमी के साथ–साथ जन्मदर में भी कमी की संभावना है।
7. नई सहस्त्राब्दि के प्रथम दशक में जनसंख्या वृद्धि में अच्छी गिरावट आयी है। साथ ही जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर में भी कमी आई है।

तीसरी दुनिया के देशों में भारत सहित जनांकिकी स्थिति अन्य देशों की तुलना में भिन्न है। योजना आयोग द्वारा यह स्वीकारा गया था कि हिन्दी राज्यों उ0प्रदेश, बिहार, म0 प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनांकिकीय समस्यायें अधिक हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत की सामाजिक, आर्थिक विकास, पर्यावरण और लोगों के जीवन स्तर के क्षेत्र में गम्भीर समस्यायें उत्पन्न की हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, बीमारी, कुपोषण और निम्न जीवन स्तर आदि समस्याओं का कारण जनसंख्या वृद्धि ही है। जनसंख्या की वर्तमान स्थिति और प्रवृत्ति की जानकारी प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है।

भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या और संसाधनों में असंतुलन की स्थिति है। व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जनसंख्या का सीमित होना जरूरी है। भारत में नई सहस्त्राब्दि के प्रथम दशक में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार में गिरावट आई है, फिर भी आज भारत गम्भीर जनसंख्या के संकट से गुजर रहा है। आबादी के एक हिस्से को प्रतिदिन मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब तक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जनसंख्या जागरूकता, छोटे परिवार की संकल्पना, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें समुचित रूप से समाज में विद्यमान नहीं होंगी तब तक उचित जीवन स्तर तथा जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए अनियंत्रित और अनियोजित रूप से बढ़ती हुई आबादी पर रोक आवश्यक है जिससे विकास के अवसर प्राप्त होंगे।

8 मार्च 2011
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सार्थकता

जिनके पास कलम किताब नहीं है, उनके पास शोषण का हिसाब नहीं है।
उन्हें सौंपना है वसंत का एक गीत, जिनके पास शब्दों का प्रकाश नहीं है।

आज जब संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम थोड़ा रुककर अपनी महिलाओं की स्थिति पर मनन करें। महिला अर्थात हमारी जनसंख्या का आधा भाग! क्या उन्हें पीछे धकेलकर एक सुदृढ़ समाज की कल्पना की जा सकती है ? कदापि नहीं ! उन्हें आगे लाने के लिए साक्षरता प्रथम सोपान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। हमारी 2001 की जनगणना के अनुसार देश की महिला साक्षरता का प्रतिशत केवल 54.16% है, अर्थात हमारी आधी गृह–स्वामिनियां अक्षर–ज्ञान से वंचित हैं। फलतः किताबों की अथाह गागर से अछूती हैं।

हमारे प्रदेश में तो महिला साक्षरता का प्रतिशत मात्र 50.3% ही है और इसके कारणों से भी हम सर्वथा अपरिचित नहीं है। गरीबी की मार शिक्षा को महत्व देने नहीं पाती। जब ये भान हो कि ये हाथ खेती–मजदूरी से चार पैसे कमाएंगे तो उनमें कॉपी–किताब क्यों दी जाने लगी ? यद्यपि देश से निरक्षरता की कालिख मिटाने की कोशिश में शासन ने अनेक प्रयास किए हैं जिनके अच्छे नतीजे भी देखने में आए हैं किन्तु ये प्रयास स्कूल शिक्षा की दिशा में ही अधिक नजर आते हैं। 15 वर्ष से अधिक की युवतियां जो बच्चियां तो नहीं हैं किन्तु उनके सामने काफी लंबा जीवन होता है जिसे सार्थकता से जीना उनका भी अधिकार है। उनके लिए भारत सरकार ने महिला शिक्षा को केन्द्र में रखकर साक्षर भारत कार्यक्रम 2012 का सूत्रपात किया है। इसके तहत अप्रैल 2012 तक उन जिलों को साक्षरता हेतु चुना गया है जिनमें महिला साक्षरता दर 50% से कम है। मध्यप्रदेश में भी यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है किन्तु उसकी गति अत्यंत धीमी है। अपेक्षा यह है कि साक्षर भारत कार्यक्रम 2012 म.प्र. में स्त्री–पुरुष साक्षरता दर के अंतर को वर्तमान 26% से कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

मध्यप्रदेश में 37 जिले ऐसे हैं जिनकी महिला साक्षरता दर 50% से कम है। स्वर्णिम मध्यप्रदेश के स्वप्न को साकार करने में यह प्रतिशत एक बाधा है जिसे दूर करने में सरकार को हर संभव पहल करना जरूरी है। महिलाओं को उस स्तर तक लाने के लिए जहां वह इस सीमा तक सबल हो सकें कि प्रश्न खड़े कर सकें, न सिर्फ स्वयं के प्रति बल्कि अपने समाज व राष्ट्र के प्रति, हम सभी को इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी। सबल महिलाएं स्वयं आगे आएं, युवा पीढ़ी, धनिक

वर्ग, सेवानिवृत्त वृद्ध इन सभी से अपेक्षा है कि वे साक्षरता की दिशा में पहल कर अपने आस–पास की निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाएं तथा राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

आज हम बहुधा महिला सशक्तिकरण की बात सुनते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में महिला सरपंचों की बढ़ती नियुक्तियों के चलते यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी पंचायत प्रतिनिधि स्वयं साक्षर हो तथा वह अपने क्षेत्र की महिलाओं को भी साक्षर, सुशिक्षित व आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की प्रेरणा दे सके। म.प्र. में लगभग 18,000 पंचायतें हैं, यदि इनमें लगभग 9000 में भी महिला सरपंच हैं तो यह एक बड़ा आंकड़ा है और इन क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु एक साक्षर, जागरुक, सबल महिला सरपंच वांछनीय है जो सरपंच पति के ताने को सिरे से नकार सके।

मध्यप्रदेश में ''गांव की बेटी'' योजना के तहत प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जाती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रायमरी उत्तीर्ण लड़कियों को सायकल तथा आठवीं की छात्राओं को मुफ्त गणवेश उपलब्ध कराया जाता है। नौकरियों में आरक्षण, जायदाद में हक, विवाह की योजना, जननी सुरक्षा योजना, गोद भराई, अन्न प्राशन, कन्या भ्रूण हत्या निरोधक कानून, स्वयं सिद्धा, स्वाधार, अस्थाई घर, परिवार परामर्श केन्द्र, छात्रावास आदि तमाम सुविधाएं महिलाओं को प्रदान की गई हैं। यही नहीं, घरेलू हिंसा, दहेज, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति, यौन–शोषण तथा विज्ञापनों में अनुचित प्रदर्शन के प्रतिबंधों के बावजूद हम देखते हैं कि आज भी मध्यप्रदेश में नारी अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। गृहमंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देने हुए ये आंकड़े दिए। वर्ष 2010 के दौरान राज्य में 2191 बलात्कार की घटनाएं दर्ज हुईं जिनमें 1028 बलात्कार की शिकार कन्याओं की उम्र 18 वर्ष से कम थी। इससे ज्ञात होता है कि प्रतिदिन 6.26 महिलाओं के साथ राज्य में बलात्कार हुआ तथा हर 3.83 घंटे में एक बलात्कार की घटना हुई है। वर्ष 2010 में 321 महिलाएं ऐसी थीं जिनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया तथा इनमें से 10 को तो मौत के घाट उतार दिया गया। गौरतलब है कि 2191 बलात्कार की शिकार महिलाओं में से 902 पिछड़े वर्ग से, 828 अनुसूचित जनजाति की तथा शेष 462 सामान्य वर्ग की थीं। 1028, 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िताओं में से 412 अनुसूचित जनजाति, 403 पिछड़ा वर्ग तथा 213 सामान्य श्रेणी से थीं। सामुहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं में 109 पिछड़ा वर्ग, 59 अनुसूचित जनजाति तथा 41 सामान्य वर्ग से थीं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पीड़िताओं में कम उम्र की पिछड़े तबके की महिलाएं सर्वाधिक थीं अर्थात कम जागरुक महिलाएं आसान शिकार बन गईं। (स्त्रोत– हिन्दुस्तान टाइम्स, 23.2.11)

जहां साक्षरता से महिला अपराधों को घटाने में मदद मिलती है तथा परिवार की आर्थिक उन्नति होती है, वहीं पढ़ी–लिखी महिलाएं अपने परिवार के आकार संबंधी सही निर्णय लेकर निर्भयता से उपयुक्त साधन अपनाने में नहीं हिचकतीं, इस प्रकार वे जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। साक्षर माताओं से बाल मृत्यु दर घटती है तथा परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होता है और वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति भी सजग रहती हैं। जाहिर है एक साक्षर महिला विभिन्न पुस्तकों

के माध्यम से प्रतिदिन अपने जीवन में स्वयं ही ज्ञान का संग्रह कर सकती है, दूसरी ओर निरक्षर महिला तक जानकारी पहुंचाने की आवश्यकता होती है। शासकीय शिथिलता, संसाधनों की कमी, रुढ़िवादिता, पर्दाप्रथा इन तमाम बाधाओं के बावजूद शिक्षा की आवश्यकता इतनी विराट है कि उचित अभिप्रेरण से ये तमाम बाधाएं तोड़ी जा सकती हैं –शिक्षार्थी द्वारा भी तथा शिक्षक द्वारा भी।

आज महिला दिवस के अवसर पर यह आह्वान है कि चाहे हमारे राष्ट्र में महिला दिवस पर हम विमेन लिबेरशन के लिए संघर्ष न करें किन्तु हम साक्षर महिलाएं यह संकल्प तो उठाएं कि इस वर्ष हम एक असाक्षर बहन को साक्षर कर अपना न्यूनतम कर्त्तव्य वहन करेंगे। यही नहीं जहां भी, जैसे भी महिला साक्षरता की दिशा में सहयोग दें, क्योंकि महिला ही वह धुरी है जिसके आसपास उसका संपूर्ण परिवार घूमता है। परिवार से समाज है और समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व ! तो जब हम एक महिला को साक्षर करेंगे तो उस इकाई को साक्षर करेंगे, जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व विकास पर पड़ेगा, यह कोई अदना काम नहीं ! आवश्यकता है तो मात्र आत्म–अभिप्रेरण की।

इस युग में भी लगे अंगूठा, बात बड़े अपमान की।
माता–बहनों और भाइयों, ज्योति जलाओ ज्ञान की।

❍❍❍❍❍

समान अवसर समान हक

e=;h i"ik

गरीबों को खरीदने वाले तो हैं, मगर सुनने वाले नहीं।' यह तेलंगाना की युवती वनिता की बात है। कहती है कि इस नीति से मरहम तो लगाया जा सकता है मगर घाव के अंदरूनी जहर का क्या होगा? श्रीकृष्ण समिति का फैसला आया, उलझनें और भी बढ़ा दीं। वनिता ने मुझसे भी पूछा है– आपने हमसे सिपाही बनने की अपील की है, शहीद हो जाने को वाजिब नहीं माना। आप ही कहें कि सिपाही को शहीद क्यों होना पड़ता है? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तभी न? हम आंध्र के बंदी से ज्यादा क्या हैं? इस बात पर गौर किए बिना असरदार और बड़े लोग अखंड राष्ट्र की दुहाई देते हुए हमारे खून से आंध्र को सींच रहे हैं। गैरबराबरी और नाइंसाफी की शासन नीति पर समानता का मुलम्मा चढ़ा कर पेश करते हैं। यह संविधान की अवमानना का घिनौना खेल है।

तेलंगाना का आंदोलन कश्मीर समस्या की तरह नहीं कि अलगाववादियों का मामला बने। यह तो पंजाब–हरियाणा, उत्तरप्रदेश–उत्तरांचल, बिहार–झारखंड, मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ जैसी मुहिम है, जिन्होंने मुख्य प्रदेश का उपनिवेश बने रहना स्वीकार नहीं किया। और न तेलंगाना का आंदोलन महिला आरक्षण की तर्ज पर देखा जा सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण का विरोध करने वाली जनता नहीं थी, चंद सत्तासुख के अभ्यस्त सांसद थे, जिन्होंने मरने–मारने के बयान दिए। अगर वे सड़कों पर भी उतर आएं तो उंगलियों पर गिनने लायक ही होंगे। तेलंगाना की जनता क्या चाहती है? मैं यहां उन लोगों से मुखातिब हूं जो बंटवारे को हर हालत में कमजोर होना मान लेते हैं और गैरबराबरी और नाइंसाफियों के जारी रहने पर भी कमजोर लोगों पर गौर नहीं करते। परिवारों के शामिल खाते को देखते हुए परिवार का मुखिया कभी नहीं चाहेगा कि कुछ सदस्य अपने फैसले खुद करें और जिम्मेदारी खुद संभाले। मुखिया की सलाह आखिर हुक्म ही तो होती है। यह बात तो मां जानती है कि अपना हक लेकर बेटे अलग होते हैं तो परिवार की हर कड़ी बराबर से मजबूत होगी, क्योंकि अपनी मजबूती के लिए हर सदस्य जिम्मेदार होगा। आपसी रंजिशें नहीं पनपेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता और कार्यकुशलता को पनपने का मौका मिलेगा।

मगर होता यह है कि तेलंगाना की युवा पीढ़ी को बहकाने और बरगलाने के उपाय होते रहते हैं। बार–बार समझाया जाता है कि उनके अभावों और गुजरते भेद–भावों को मद्देनजर रखते हुए देश के नेताओं ने बराबर विचार किया है, समितियां भी बनाई हैं, बारीक विश्लेषण किए हैं, मुश्किल तो यही है कि हमारे देश की बौद्धिक बहसें बस अपनी बुद्धि के गहरे कौशल को प्रदर्शित करती हुई कभी खत्म होने का नाम नहीं लेतीं तो उत्पीड़ित लोगों को न्याय कब मिलेगा, यह कौन कहे? सच यह भी है कि लिखित और मौखिक बहसें मुद्दे को भटकाने का काम बराबर करती रहती हैं, जिससे कि आवाज उठाने

वाले शोषित लोग चुप हो जाएं और उन्हें अपना ही कदम गलत दिशा में उठता हुआ लगने लगे। विद्वानों का करिश्माई अंदाज ऐसा ही होता है कि वे आम आदमी को मौन नहीं, मुक हो जाने पर बाध्य कर दें। अब बंजारा आदिवासी, भूमिहीन, दिहाड़ी मजदूर, जंगलों का हक खोने वाले 'जंगली' इतिहास और बौद्धिक लोगों की लीला क्या जानें? कपड़े सिल कर, बीड़ी बना कर जिन मांओं ने अपने बच्चों को पढ़ाया–लिखाया, वही बेटे–बेटियां कहीं पढ़ पाए कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के मुद्दे पर या आर्थिक स्रोतों को ध्यान में रख कर इस अखंड देश में राज्यों को अलग किया गया है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता समितियों में रहे हैं, जिन्होंने बुद्ध की बातों को सामाजिक न्याय का आधार माना है कि सच्ची विजय वही होती है जहां हर आदमी जीतता है। कोई हारता नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी व्यावहारिक जीत यही है।

साथ ही यह भी खबर बेटे–बेटियों ने दी कि किताबों में उनके नाम नहीं है, जिनकी बहादुरी की कथाएं मां सुनाती हैं, क्योंकि इतिहास के पाठ्यक्रम के लिए बातें चुनने वाले तटीय आंध्र के लोग होते हैं, जिन्होंने तेलंगाना के कवि, कलाकार, चित्रकार, दस्तकार और स्वतंत्रता सेनानियों को खारिज नाम कर दिया। अपने आपको नदारद पाना उन्होंने खुद महसूस किया है कि असमानताएं कैसे पांव जमाती हैं। पढ़े–लिखे युवा वर्ग में यह भी ज्ञान है कि तेलंगाना की बात पर बार–बार हैदाराबाद शहर का मुद्दा आ अटकता है। यह शहर आंध्र और तेलंगाना की भावनाओं और आजीविका के केंद्र के रूप में एक–सी मजबूती से जुड़ा है। आईटी का अत्याधुनिक उद्योग अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनके संज्ञान में यह भी है कि जिन स्त्रियों का हैदराबाद से मुसलिम होने के नाते संबंध है और उनके परिवारों के वैवाहिक प्रस्ताव आंदोलन के दौरान मुल्तवी हुए है, वे जरूर नाखुश हैं। वे ही समझाती है कि पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए तमाम विकास योजनाएं हैं। याद रखो कि अलग राज्य का फितूर तुम्हारे भीतर राजनेताओं ने भरा है, जिनको सत्ता और गद्दी का लालच है।

मगर खानाबदोश मांएं इन भले घरों की औरतों को अपनी बदहाली कैसे बताएं कि उनकी बेटियों की शादियां नहीं होतीं, तस्करी होती है, जिस पर आंध्र सरकार का कितना ध्यान है? सॉफ्टवेयर के निर्यात के साथ लड़कियों का भी निर्यात, यह कैसा एकता का सूत्र है और कैसा अखंड प्रदेश? असल बात यह है कि तेलंगाना की स्थिति वे ही समझ पाएंगे जो तेलंगाना के होंगे, क्योंकि वही संघर्ष में शामिल हैं। वही इस धरती पर जन्मे बच्चों के भविष्य की चिंता कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी रोजगार के लिए नई पीढ़ी के निर्वासन का दर्द झेला है, नहीं तो तेलंगाना की जिहाद में खुद को झोंक देने का शौक इसलिए नहीं था कि यहां पत्थर गाड़ कर अपना नाम खुदा जाएं।

'तुम तो नक्सलाइटों की तरह हो' यह आवाज बार–बार बाहरी तबकों से आती है। धिक्कार मिलती है और नतीजे में स्कूल–कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, इम्तिहानों को टाल दिया जाता है। सारा दोष जैसे छात्रों का हो। क्या यहां छात्र ने किसी की हत्या की है? अपने हकों के लिए लड़ना क्या अपराध है? अपनी ही कुर्बानी देने वाले छात्र मुजरिम मान लिए? मगर जुल्म तो यह है कि बार–बार कह दिया

जाता है कि जनता की भावना को देखते हुए तेलंगाना के अलग होने का फैसला आ सकता है, भले ही कुछ सीमाएं आड़े आ रही हों। अशांति फैले, यह देश के हित में नहीं। मगर यकायक देश की अखंडता का ख्याल आ जाता है यह डर लगने लगता है कि बड़ी कोशिश से तैयार किए वोट बैंक का क्या होगा? विचार होने लगता है कि ऐसी युक्ति बिठाई जाए कि आगे बंटवारे की बात उठे ही नहीं। कहा यह भी जाता है कि तेलंगाना के लोगों की मांगें जायज हैं। यह कैसा गोल–मोल नतीजा है। दरअसल, लोगों को नजरअंदाज करते रहने की नीति कारगर दिखाई पड़ती है। भला यह भी कोई पक्षपात है उस्मानिया और काकातिया विश्वविद्यालय के छात्रों के उत्तीर्ण अंकों में अंतर रखा जाए? यह भी क्या शिकायत का मुद्दा है कि बाहरी लोग आकर सीटें हथिया रहे हैं और तेलंगाना के उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं और आरक्षण के जरिए भी उनसे बाजी नहीं मार पा रहे। जब कोई बेहतर संस्थान से शिक्षित होकर निकलेगा तो आपको पछाड़ेगा ही। प्रतिष्ठित संस्थाओं का अपना ही बोलबाला होता है।

इन बातों पर युवा क्या कहें? कहते हैं कि इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान क्यों नहीं हैं? यहां शिक्षा, सुरक्षा और सरकारी संरक्षण की इमदाद नहीं है, बस यहां की प्राकृतिक संपदा को लूट ले जाने का रिवाज है ताकि यह क्षेत्र आंध्र का उपनिवेश बना रहे। प्रदेश की कुल आबादी की बत्तीस फीसद जनता आपकी गुलाम बनी रहे और अधिकारों के नाम पर सिर झुका ले। यह सब सोचने और उजागर करने वाले लोग भी उपद्रवी की तरह देश के कुछ विश्लेषणकर्ताओं द्वारा देखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनके दिल–दिमाग पर महत्वाकांक्षी नेताओं का एक मंत्र खुदा हुआ है कि 'अलग राज्य में ही तुम्हारा भविष्य छिपा है।' मान लीजिए कि नेताओं का दिया मंत्र खुदा है, लेकिन तेलंगाना के लिए गड़बड़ी करने वाले नेताओं से भी तो ये युवक सवाल कर सकते हैं, क्योंकि सवाल करने की क्षमता उन्होंने अपने संघर्ष से अर्जित कर ली है। तेलंगाना का युवा वर्ग किसी राजनीतिक पद को हथियाने की फिराक में नहीं, वह तो अपनी धरती के अभ्युदय के लिए मरा और जिया है। उन्होंने तो यह परवाह भी नहीं की कि साथ आंदोलनकारियों की मृत्यु–रिपोर्ट पुलिस रिकार्ड में क्यों नहीं है। पुलिस उनके मरने का दृश्य तमाशे की तरह देखती रही जैसे इसी हश्र के लिए वे अपने देश के नागरिक हों। तेलंगाना के होम में छात्रों की आहुतियां जैसे नियति बन गई हो। असल में तो वे लड़ने आए थे, मगर लड़ाई के हर मुहाने को सरकारी अमले ने बंद कर दिया। ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए उनकी सरकारी के खजाने वादों, उम्मीदों और आश्वासनों से भरे हैं और जब इनकी असलियत खुलती है तो परिणाम खौफनाक होने लगते हैं। देखें अब श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट पर विभिन दल क्या कहते हैं? गौरखालैंड, विदर्भ, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश जैसे कसमसाते हुए क्षेत्रों से डर लग रहा है। डर तो लगता ही है। भूख, नंगे और शोषित नागरिकों के पास खोने के लिए भला क्या है? बहरहाल, नेतागण, सरकारें और एकता की दुहाई देने वाला बौद्धिक समाज भी पूरी चतुराई के साथ जानता है कि अन्याय के साथ खड़े होना जितना आसान है न्याय के पक्ष में जाना उतना ही चुनौतीपूर्ण।

वेद ही गणतंत्र की मूल अवधारणा का आधार

jkefuokl x|.kxgkd

जब परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई, तो मानव की पहली पीढ़ी के चार पवित्रात्मा ऋषियों के अंतःकरण में वेद का ज्ञान प्रकाशित किया। जैसे एक राष्ट्र के सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड के समुचित संचालन के लिए सृष्टि संविधान के रूप में परमात्मा ने वेद का ज्ञान किया। वेद में मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ज्ञान–विज्ञान है। वेदों को भलीभांति पढ़ने और समझने वाले विद्वान जानते हैं कि मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जिसका तर्कपूर्ण, मानव मात्र के लिए स्वीकार करने योग्य विज्ञान वेदों में न हो। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है–'दिवं च रोह पृथिवी च रोह द्रविणं च रोह', अर्थात् हे मुनष्य! तू आत्मिक उन्नति कर, शारीरिक उन्नति कर, राष्ट्रीय उन्नति कर और धन–संपत्ति की उन्नति कर। वेद हमारे जीवन के विविध पक्षों के संतुलित विकास की व्यवस्था देते हैं। सर्वप्रथम आत्मबल से परिपूर्ण होकर हम शारीरिक बल का संपादन करें। इसी प्रकार व्यक्तिगत समृद्धि की शिक्षा देकर वेद हमारे जीवन में परमार्थ को स्वार्थ पर प्राथमिकता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, इस चहुंमुखी विकास के सूक्ष्म तत्वों का सटीक वर्णन भी वेदों में जहां–तहां मिलते हैं। राष्ट्रीय प्रश्न को लेकर चलें तो अथर्ववेद के भूमिसूक्त और ब्रह्म गौ सूक्त राष्ट्रीय उन्नति की मूलाधार राजनीति के अनुपम व अनूठे कोष हैं।

आज के बुद्धिवादियों का मानना है कि लोकतांत्रिक रीति से शासक का चयन करना नए युग की बात है। ऐसी धारणा वे ही बना और रख सकते हैं, जिन्होंने वेद न पढ़े हों। वेद विद्या के पंडित जानते हैं कि गणतंत्र का मूल स्रोत वेद ही है। अथर्व वेद में आता है–'त्वां विशो वृणतां राज्याय' अर्थात् हे राजना तुझे राज्य के लिए प्रजा ने चुना है। महर्षि मनु कहते हैं कि वेदों में सभी विद्या बीज रूप में विद्यमान हैं–'वेदेषु सर्वा विद्या सन्ति मूलाद्देश्यत।' जहां तक प्रजा द्वारा राजा के चयन की बात है तो इस संबंध में अनेक स्थानों पर इसके स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं।

आज के लोकतंत्र और वेद के लोकतंत्र में एक छोटा–सा अंतर है। मूल भावना में समानता होने पर भी वह अंतर आज हमारे लोकतंत्र में अनेक प्रकार के दोष पैदा कर रहा है। वेद का लोकतंत्र कहता है–'त्वामग्ने वृगुते ब्राह्याणा इसे शिवो अग्ने संवरणो भवा न,' अर्थात हे तेजस्वी राजना धार्मिक विद्वान लोगों ने जो तेरा वरण किया है, वह तेरा चयन हमारे लिए कल्याणकारी हो। यहां स्पष्ट संकेत है कि राजा चुनने का कार्य श्रेष्ठ एवं विद्वानों का है। वर्तमान लोकतंत्र में राजा शब्द का अर्थ राष्ट्राध्यक्ष से ही है, अतः वेदों के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव गुणवानों द्वारा आम चुनाव प्रक्रिया से होना चाहिए न कि चुने गए प्रत्याशियों द्वारा जैसा कि अमेरिका में होता है। पूर्व मंत्रांश में विशो

शब्द आया है जिसका अर्थ होता है प्रजा। समस्त गुंणों वाले सज्जन पुरुष ही राजा का चुनाव करने की योग्यता रखते हैं। हमने जो लोकतंत्र स्वीकार किया है, वह आयु को आधार मान कर मताधिकार प्रदान करता है। यहां भी मूल भाना यही है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त युवक–युवती अपना और राष्ट्र का हित–आहित विचार करने योग्य हो जाता है। लेकिन अनुभव हमारी इस धारणा की पुष्टि नहीं करता। मतदान के समय यहां क्या होता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। वेद आयु के स्थान पर विद्या और विवेक को मतदान का आधर मानकर लोकतंत्र की बात करता है। भारतीय लोकतंत्र ने अपनी यात्रा जिन परिस्थितियों से जूझते हुए की है, उन्हें ध्यान में रखते हुए राष्ट्रहित को समर्पित हर भारतीय को यह मानना पड़ेगा कि आयु के स्थान पर विद्या और विवेक को मताधिकार की कसौटी बनाना सर्वथा उचित ही है। वर्तमान लोकतंत्र के नित नए उभरते दोषों को देखकर कई व्यथित जन इसे भीड़तंत्र भी कहने लगे हैं। जब हमारा आयु आधारित लोकतंत्र भीड़ तंत्र कहलाने लगा हो तो बुद्धिमानों को चाहिए कि वे लोकतंत्र की वैदिक अवधारणा पर खुले हृदय से विचार करें। वेद विद्या के तलस्पर्शी विद्वान महर्षि दयानंद ने वैदिक सिद्धांतों को व्यवहार के धरातल पर उतारने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया है।

वैदिक राजव्यवस्था के लिए जहां राजा के चयन की तर्कसंगत मानवीय प्रक्रिया है, वहीं विभिन्न राज्य परिषदों के संबंध में भी ऐसी ही व्यवस्था है। ऋवेद में आता है–'प्रजा पुरुषों व सैनिकों को चाहिए कि सब विद्याओं में निपुण, धार्मिक पुरुष को ही सभापति बनाएं। ऋग्वेद के मंत्र 'त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वनि भूषथः सदांसि' की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं–'राजा, प्रजा और पुरुष मिलकर राष्ट्र यज्ञ के संचालनार्थ तीन सभाएं विद्यार्थ सभा, धर्मार्यसभा और राजार्थ सभा का निर्माण करें।' सभाओं व परिषदों में पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में राजा को चाहिए कि अधिकारी की नियुक्ति में प्रजा की सम्मति भी ग्रहण करें क्योंकि ऐसा होने पर उपद्रव नहीं होता।' प्रजा स्वयं राजा को कहती है–'हे राजन! जो राज्य की उन्नति में प्रीति करने वाले और धर्मनिष्ठ कर्मचारी आप को प्राप्त हों, उन्हें सत्कार व सुरक्षा के साथ रखिए।' मंत्रिमंडल के संबंध में बड़ा सटीक संदेश है–'जो शत्रुओं के छलों से ठगे हुए न हों, संग्रामों में उत्साह को प्राप्त, शूरता के साथ युद्ध करें, सब ओर से गुणों के ग्रहण कर दोषों को त्यागें, वे ही आपके मंत्री हों।'

यदि लोकतंत्र का श्रेष्ठ अंश हमारे सामने नहीं आ सका है तो इसके लिए हमारे राजनेता ही जिम्मेदार नजर आते हैं।

आम बजट 2011 - 12 में हरेक वर्ग के कल्याण पर अधिक जोर

foukn 'kdj cjok

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट 2011–12 में सामाजिक सरोकारों का पूर्ण ध्यान रखते हुए भारतीय समाज के हरेक वर्ग के प्रति सरकार के दायित्वों के सही निर्वहन के लिए भरसक कोशिश की है। विभिन्न योजनाओं के लिए जहां धन का आबंटन बढ़ाते हुए इनका दायरा बढ़ाया गया है, वहीं कई ऐसी नई योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई है, जिनसें समाज के हरेक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो सके। आम बजट 2011–11 में घोषित योजनाओं में वृद्वजनों, वेनतभोगी, बच्चों, युवाओं, श्रमिकों, किसानों एंव गरीब तथा कमजोर आय वर्ग के लोगों के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता प्रकट करते हुए इन वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए कई तरह के कारगर कदम उठाने की घोषणा की गई है। ऐसी ही कुछ प्रमुख घोषणाओं का यहां जिक्र किया जा रहा है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार पूरे भारतीय समाज के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्धों के लिए

वर्ष 2011–12 के आम बजट में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे वृद्धजनों के लिए मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है, जो 80 वर्ष या इसके अधिक आयु के हैं, उनके लिए पेंशन 200 रूपये से बढ़कर 500 रूपये किए जाने प्रस्ताव है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए

आम बजट 2010–11 में स्वावलंबन नामक एक सह–अंशदायी पेंशन योजना की घोषणा की गई थी, जिसकी असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने काफी प्रशंसा की थी। अब तक इस योजना में 4 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर बजट 2011–12 में निकास मानकों में छूट दी जा रही है, जिसके द्वारा स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत किसी भी अंशदाता को 60 वर्ष के बजाय 50 वर्ष या 20 वर्ष की न्यूनतम अवधि इनमें से जो भी परवर्ती हो, के बाद निकासी की अनुमति होगी। वर्ष 2010–12 के दौरान स्वावलंबन योजना में नामांकित हो चुके सभी अंशधारकों को तीन से पांच वर्षों तक सरकारी अंशदान का फायदा देने का प्रस्ताव है। जैसा कि अनुमान है मार्च 2012 तक 20 लाख लाभार्थी इस योजना में

शामिल होंगें।

गरीब और सीमान्त मजूदरों के लिए

वर्ष 2011–12 के बजट प्रस्तावों में कहा गया है कि गरीब और सीमान्त मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा रक्षा आवरण मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना एक कारगर साधन बन कर उभरी है। अब इसका विस्तार महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों, बीड़ी कामगारों तथा अन्य तक किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में जोखिम भरे खनन तथा स्लेट और स्लेट पेंसिल, डोलोमाइट, माइका और एसबेस्टेस आदि संबद्व उद्योगों में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इसके अंतर्गत लाने के लिए इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए

आम बजट वर्ष 2011–12 के प्रस्तावों में 100 रूपए की वास्तविक दैनिक मजदूरी दिलाने के बारे में पिछली बजट योजना के अनुसरण में सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के तहत कृषिश्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। इससे 14 जनवरी, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी बढ़ गई है। इसके फलस्वरूप देश भर में लाभार्थियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत मनरेगा में काम करने वाले लाखों कृषि श्रमिकों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का आधार हैं। आम बजट 2011–12 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमश 1500 रूपए तथा 750 रूपए से 1,500 रूपए प्रतिमाह करने की घोषणा की, जो पहली अप्रैल, 2011 से लागू होगी। देश भर में करीब 22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए

आम बजट 2011–12 में पहली बार अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष आबंटन निर्धारित किए गए हैं। इन्हें संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के बजट में अलग लघु लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा। इसके अलावा जनजतीयों वर्गों

के लिए वर्ष 2010–11 में किए गए 185 करोड़ रूपए के बजट आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2011–12 में 244 करोड़ रूपए करने का प्रस्ताव किया गया है। 9वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है। इससे करीब 40 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

युवाओं के लिए

वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट 2011–12 प्रस्तुत करते हुए कहा कि विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत युवा आबादी का हमारा जनसांख्यिकी लाभांश चुनौती से कहीं बढ़कर एक अवसर है। वर्ष 2025 में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय काम–काजी आयु के होंगे। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा सबके लिए सुलभ बनाना, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में हमारे विद्वानों की प्रतिशतता बढ़ाना और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 52,057 करोड़ रूपए के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है, जो मौजूदा वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। इससे युवा पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने और कौशल विकास में काफी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय दक्षता कोष के तहत 500 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है।

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए

आम बजट 2011–12 व्यक्तिगत करदाताओं की सामान्य श्रेणी के लिए छूट सीमा इस वर्ष 1,60,000 रूपये से बढ़ाकर 1,80,000 रूपये करने का प्रस्ताव किया गया है। इस उपाय से इस श्रेणी के हर करदाता को 2,000 रूपये की एक समान कर राहत मिलेगी। इसी के साथ वरिष्ठ नागरिकों की अर्हक आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष और छूट सीमा 2,40,000 रूपये से बढ़ाकर 2,50,000 रूपये की गई है। बहुत वरिष्ठ नागरिकों 80 वर्ष उससे अधिक की एक नई श्रेणी का सृजन, जो 5,00,000 रूपये की उच्चतर छूट सीमा की हकदार होगी, का भी प्रस्ताव किया गया है। बचतों को प्रोत्साहित करने और आधारभूत ढ़ाचे के लिए निधियां जुटाने के लिए केन्द्र सरकार ने 2011–11 में दीर्घवधिक अवंसरचना बांडों में निवेष के लिए 20,000 रूपये की अतिरिक्त कटौती की अधिसूचना जारी की थी। इसे और एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीणों के लिए

वित्त मंत्री श्री मुखर्जी ने आम बजट 2011–12 के प्रस्तावों में कहा है कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरईडीएफ) बैंक निधियों को ग्रामीण अवसंरचना के वित्त पोषण में लगाने का एक प्रमुख माध्यम है, जो राज्य सरकारों के बीच भी लोकप्रिय है। इस बजट में आरआईईडीएफ

की मूल निधि को मौजूदा वर्ष में 16,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2011–12 में 18,000 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव किया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रंबधन को और मजबूत करने के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है, ताकि वे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कम से कम 9 प्रतिशत पर सीआरएआर रखने में समर्थ हों।

गरीबों के लिए

आम बजट 2011–2012 में प्रस्ताव किया गया है कि देश में भूख और कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्ष 2011–2012 में समाजिक क्षेत्र में 1,60,887 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है और आयोजन आबंटन का 36.4 प्रतिशत है। केरोसिन (मिट्टी का तेल), रसोई गैस सिलेंडर और उर्वरक पर गरीबों को सीधे नकद अनुदान देने की घोषणा भी इस बजट में की गई है।

वेतनभोगियों के लिए आम बजट 2011–2012 में वेतनभोगियों को हर वर्ष आयकर रिटर्न भरने की जटिल प्रक्रिया से राहत प्रदान की है। इसके लिए वेतनभोगी की आय का अन्य कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, साथ ही वेतन टीडीएस के दायरे में आता हो। इसके लिए सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें इस वर्ग के लोगों के बारें में बताया जाएगा, जिन्हें आय कर रिटर्न भरने से छूट मिलेगी।

निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने गरीब परिवारों को राजीव आवास योजना के तहत आवास ऋण की गारंटी प्रदान करने के लिए गारंटी कोष के गठन का प्रस्ताव किया है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बैंकों से आवास ऋृण हासिल करने में आने वाली दिक्कतें काफी कम हो जाएगी।

बच्चों के लिए

बच्चों को विद्यालय की शिक्षा के साथ दसवीं तक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आम बजट 2011–2012 में सर्व शिक्षा अभियान का आबंटन पिछले वर्ष की अपेक्षा 40 प्रतिशत बढ़ाकर 21 हजार करोड़ रूपए किया गया है। इससे बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षित होने में काफी मदद मिलेगी।

किसानों के लिए छोटे किसानों को भी जरूरत पड़ने पर ऋण मिल जाएं, इसके लिए किसानों को दिए जाने वाले कर्ज में एक लाख करोड़ रूपए की बढ़ोत्तरी करने के साथ ही

उस पर ब्याज की दर 1 प्रतिशत कम की गई है। यह फायदा उन किसानों को मिलेगा, जो वक्त से अपना कर्जा चुकाएंगे यानी वक्त पर ऋण चुकाने पर 7 की बयाज 4 प्रतिशत ब्याज ही देना पड़ेगा।

पहले वक्त पर कर्जा चुकाने पर 2 प्रतिशत की राहत मिलती थी। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60 हजार गांवों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। इसी तरह ऑयल पाम क्षेत्र पर जोर देते हुए इसके लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। इससे 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

इस तरह आम बजट 2011–12 के प्रस्तावों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट रूप से नजर आता है कि वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने आम बजट 2011–2012 में भारतीय समाज के हरेक वर्ग का खास ध्यान रखा है तथा प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के सकारात्मक व्यवहार का परिचय देते हुए लाभकारी उपायों और नीतियों की घोषणा की है। इससे सभी वर्ग के लोगों को अपना स्तर सुधारने के लिए सही अवसर मिलेंगे और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद भी मिलेगी।

❍❍❍❍❍

शिक्षा की वार्षिक स्थिति संबंधी प्रतिवेदन द्धए.एस.ई.आर.ऋ, 2010 के विमोचन के अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति का अभिभाषण

वर्ष 2010 के लिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति संबंधी प्रतिवेदन का विमोचन करने के लिए आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

पिछले पांच वर्षों से, 'प्रथम' ने देशभर में हमारे बच्चों की शिक्षा के परिणामों का आकलन और मूल्यांकन करने का यह वार्षिक कार्य किया है। प्रतिवर्ष 15000 गांवों में 25000 से ज्यादा स्वंयसेवकों और 700,000 से ज्यादा बच्चों को शामिल करने वाले एक विशाल गैर–सरकारी नागरिक–केन्द्रित प्रयास के रुप में यह इस बात को दर्शाता है कि महारे बच्चों की भलाई के काम को देखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और नागारिक सार्वजनिक नीति को आरंभ करने, उसे बढ़ावा देने और इसे आम लोगों की भलाई के लिए निर्देशित करपे के लिए ज्यादा प्रयास कर सकते हैं और उन्हें करना भी चाहिए।

इन वार्षिक प्रतिवेदनों से हमें इस बात का स्मरण होता है कि अच्छी सार्वजनिक नीति की पहली आवश्यकता कार्यपालिका, विधायिका, सभ्य समाज और पागरिकों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की है। यद्यपि नागरिकों को प्रारंभिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने की अनिर्वायता को भली–भांति ढंग से समझा गया है और यह एक मौलिक अधिकार के रुप में वर्णित है, तथापि ''गुणवत्ता–कार्यक्रम'' को अभी भी वैसी प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

शिक्षा ''गुणवत्ता–कार्यक्रम'' को महत्व प्रदान करने के लिए राष्ट्र–व्यापी पैमाने पर नमूना–चयन और आकलन की ए.एस.ई.आर की सरल, विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधियां महत्वपूर्ण हैं। यह बात हमारी नीति के पीरप्रेक्ष्य में और अधिक स्पष्ट है क्योंकि परिणामों की जांच और समीक्षा करने के लिए हमारे पास न तो कोई अंतर्निहित मूल्यांकन संस्कृति है और न तो तकनीकी ज्ञान और कार्यक्षेत्र संबंधी अनुभव है और न ही दोनों को रखने वाला पर्याप्त रुप से प्रशिक्षित को मानव संसाधन हैं।

देवियो और सज्जनो,

कुछ प्रश्न मन में आते हैं:

- सभी प्रकार की शिक्षा के लिए गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण क्यों है?
- कक्षा में अथवा अध्ययन के सिी अन्य वातावरण में इसकी क्या भूमिका है?
- यदि हम अर्थव्यवस्था, समाज और शासन व्यवस्था के क्षेत्रों में 'अपेक्षा' और 'सेवा प्रदान करने' के बीच बड़े अंतराल को किस प्रकार से कम करेंगे?

मैं इस प्रतिष्ति समूह का ध्यान नई सदी के आरंभ में शिक्षा में प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। अप्रैल, 2000 में डकर में विश्व शिक्षा मंच (वर्ल्ड एजुकेशन फारंम) ने 'डकर कार्रवाई रुपरेखा' को स्वीकृति प्रदान की थी। इसने इस बात को मान्यता प्रदान की कि शिक्षा एक मौलिक मानवाधिकार

है, स्थायी विकास और देशों के भीतर और उनके बीच शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और इस प्रकार यह इक्कीसवीं सदी के ऐसे समाजों और अर्थव्यवस्थाओं में प्रभावी सहभागिता के लिए एक अपरिहार्य साधन है, जो त्वरित वैश्वीकरण से प्रभावित हैं।

अंतराष्ट्रीय समुदाय ने डकर में 2015 तक उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क और अनिवार्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करने और शिक्षा में लिंगगत असमानताओं को देर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्ध व्यक्त की। इसने विशिष्ट तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार लाने का निर्णय किया ताकि अत्यावश्यक जीवन संबंधी कौशलों के क्षेत्रों में और विशेषेरुप से साक्षरता, गणना के क्षेत्रों में सभी को अध्ययन के स्वीकार्र और उल्लेखनीय परिणाम हासिल हो सकें।

वस्तुतः गुणवत्ता ''सभी के लिए शिक्षा'' के लक्ष्य के केन्द्र में है। कक्षाओं और अन्य अध्ययन क्षेत्रों में जो भी होता है वह हमारे नागरिकों के भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्वीकार्य गुणवत्ता वाली शिक्षा को मूलभूत अघ्ययन आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों के जीवन को तथा उनके समग्र जीवन अनूभव, और कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

विश्व भर के प्रमाण यह दर्शाते हैं कि '' यदि बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना है, उनकी पढ़ाई जारी रखना है और अध्ययन के सार्थक परिणाम हासिल करने हैं, तो स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के प्रयासों के साथ–साथ शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।'' सार्वजनिक नीति दो मुद्दों–शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता संबंधी सुधार और पाठयक्रम सामग्री के विकास पर विशेष रुप से ध्यान केन्द्रित करने ही इस चुनौती से निपट सकती है। यह भी अत्यावश्यक है कि छात्रों को जो ज्ञान दिया जाना हो, वह स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया जाए, अच्छी तरह से पढ़ाया जाए और इसका विशुद्ध रुप से आकलन किया जाए। आदर्शतः, यह केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं हूना चाहिए, अपितु इसमें कौशलों, दृष्टिकोणें और मूल्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

इस विषय का एक अन्य पहलू है। शिक्षा संधी शासन और प्रबंधन में मूलभूत और संस्थागत स्तर पर सहभागिता स्थापित करनी चाहिए और इनमें स्थानीय समुदायों और सांस्कृतियों को शामिल किया जाना चाहिए। हमने बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के माध्यम से एक सकरात्मक शुरुआत की है। इसमें ऐसी विद्यालय प्रबंधन समितियों के गठन का अधिदेश, जिनमें माता–पिता, स्थानीय प्राधिकरणें के निर्वाचित प्रतिनिधि, शिक्षक और स्थानीय शिक्षाविद् सम्मिलित होंगे और इन समितियों को अन्य बातों के साथ–साथ विद्यालय के कार्यकरण पर निगरानी रखने तथा विहित सन्नियमों और मानकों का अनूरक्षण करने का कार्य सौंपा गया है।

मुझे पूरी उम्मीद है कि सांविधिक प्रयास के उपयोग से माता–पिता और स्थानीय समुदाय शैक्षणिक परिणामों की समीक्षा करने में अपनी राय औश्र अधिक दृढ़तापूर्वक रख पाऐंगे। ए.एस.ई.आर. और 'प्रथम' जैसे सभ्य सामाजिक संगठनों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के सदस्यों की तकनीकी क्षमता–निर्माण्ज्ञ में महत्वपूर्ण भूमिका है।

मैं ए.एस.ई.आर. के वर्ष 2010 के प्रतिवेदन के लिए उनकी पुनः सराहना करता हूं और डा. रुक्मणी बनर्जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस समारोह में मुझे आमंत्रित किया।

❍❍❍❍❍

Women and Children Welfare Schemes: Breaking New Frontiers

Nirendra Dev

The position of women has been always held high in the Indian civilization. The women-power has been hailed as 'Matri Shakti' and the existence of the womenfolk used to be celebrated as an essential half of spiritual enlightenment. Therefore, it is not without reason that even after Independence, the Government has been laying continuous emphasis on the general development of the women and especially their empowerment including adolescent girls and the children in all spheres of life.

The major task to cater to the welfare of the women, their holistic empowerment especially of the marginalized sections primarily rests with the Ministry of Women and Child Development. On this backdrop it is worth mentioning here that under the UPA dispensation, the Ministry has taken the giant and vital steps towards launching two new schemes. They are-Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (SALA) to address the multidimensional issues of the adolescent girls in the age group of 11-18 years. According to the programmes drawn by the Ministry, initially the programme will be implemented in 200 districts across the country.

Another such significant initiative undertaken by the Ministry is the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) - Conditional Maternity scheme. Initially to be implemented in 52 districts, the scheme aims to improve the health and nutrition status of pregnant and lactating women. The scheme will also create opportunities for pregnant women to associate themselves with the Anganwadis and the health centres.

SABLA

The Rajiv Gandhi SABLA was approved by the Government on August 16, 2010 and formally launched on November 19. The Anganwadi centres will be the focal point for the delivery of the services and are meant to implemented through States and UT's with 100 per cent financial assistance from the Government at the center. SABLA aims at empowering adolescent girls for 11-18 years by improvement in their nutritional and health status and upgrading home skills, life skills and vocational skills.

Help towards Motherhood

Similarly, in October 2010, the Ministry of Women and Child Development, approved the Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) - Conditional Maternity schemes.

The scheme envisages providing cash directly to pregnant and lactating women during pregnancy stage as it attempts to partly compensate for wage loss to the carrying mothers. The essential objectives of the scheme are to improve the health and nutrition status of pregnant and lactating women and the infants. Further, pregnant women of 19 years of age and above for first two live births are entitled for benefits under the scheme. The beneficiaries will be paid Rs 4000 in three installments till the child attains the age of six months on fulfilling specific conditions related to maternal and child health. The scheme also makes its clear that the Anganwadi worker and Anganwadi helper would receive an incentive of Rs 200 and Rs 100 respectively per pregnant and lactating woman after all the due cash transfers to the beneficiary are complete. Official sources say an allocation of Rs 190 crore was made for the financial year 2010-11 and an estimated 13 lakh beneficiaries are expected to be covered under the scheme.

ICDS

Besides these schemes, the Ministry has been undertaking several long-term and time-tested projects to provide social and economic means of support including shelter, counseling, vocational training and financial assistance to the targeted women and children. Among all the major schemes, the Integrated Child Development Scheme (ICDS) is the flagship programme, which was launched in 1975 with the principal objectives to improve the nutritional and health status of children in the age group of 0-6 years.

The scheme among other things also aims to enhance the capability of the mother of a child to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education.

The concept of providing a package of services is based primarily on the consideration that the overall impact will be much larger if the different services develop in an integrated manner as the efficacy of a particular service depends upon the support it receives from related services.

It is in this context, ICDS ensures convergence between the Ministries of Women and Child Development and Health, Sanitation and drinking water, Rural Development and the Department of Elementary Education.

In 2009, the Government brought in a few changes in the funding pattern and decided to introduce the concept of cost sharing ratio between the centre and the state with effect from 1st April, 2009. It would be 90:10 basis for all the North Eastern States and 50: 50 basis for other states.

In the recent times there has been also a significant increase in the Central Government's spending on the implementation of the scheme. As against the allocation of Rs 10391.75 crore for the 10th plan, the fund has been raised to Rs 444,000 crore in the 11th Plan.

For ICDS, the Government has been also partnering with several international partners. These include World Bank, the United Nations

International Children's Emergency Fund (UNICEF) and also the World Food Programme.

Over the years, it has been appreciated by the Government that early childhood care and education at the pre-school stage is increasingly being acknowledged globally as a critical investment for enhancing school readiness. With an overall supportive and enabling policy environment in place, the Ministry is now embarking on the next step of developing a time bound plan of action in partnership with public, private and voluntary sectors at both the national and the state levels to translate the policy directives into field realities.

In short, the Ministry is in constant move. And by the new initiatives and upgrading the already existing ones, it is only trying to break the new frontiers in the realm of comprehensive development of the targeted women and the children. (PIB Features)

❍❍❍❍❍

हमारे लेखक

हंसराज पाल
आचार्य, शिक्षा संस्थान,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर
एवं
मंजुलता शर्मा

दिनेश कुमार
c/o कन्हैयालाल डडरियाल
शिवपुर, निकट विष्ट कालोनी
कोटद्वार,
जिला पौड़ी गढ़वाल
उत्तरांचल

रेनु गौतम
अध्यक्ष
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17–बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110 002

Hkkjrh; izk<+ f'k{kk l?k

dk;Zdkfj.kh lfefr

अध्यक्ष

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

उपाध्यक्ष

श्री सुधीर चटर्जी

श्री ए. एच. खान

डा. एल. राजा

डा. एम. एस. राणावत

सुश्री निशात फारूख

महासचिव

श्री के. सी. चौधरी

कोषाध्यक्ष

डा. मदन सिंह

संयुक्त सचिव

श्री अनोखी लाल भार्गव

सह–सचिव

श्री एस. सी. खण्डेलवाल

डा. पी. ए. रेड्डी

डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी

श्रीमती इन्द्रा पुरोहित

सदस्य

श्री दुर्लभ चेतिया

श्री मृणाल पंत

डा. वी. रेघु

डा. एस. एल. शर्मा

प्रो. के. आर. सुशीले गौडा

श्रीमती राजश्री बिस्वास

प्रो. सरोज गर्ग

सुश्री उषा राय

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं0 डी.एल.(सी)-01/1158/10-12
प्रौढ़ शिक्षा मार्च 2011, आर.एन.आई. 4551/57

"The power to question is the basis of all human progress."

Indira Gandhi
Prime Minister of India

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए डा. मदन सिंह द्वारा 17–बी आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स–ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।

वर्ष 55 अंक 8

एक प्रति 10 रूपये
मार्च 2011

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ